दूरभाषः 26715250

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
पश्चिम खण्ड–4, विंग–7
आर के पुरम, नई दिल्ली–66

पत्र संख्या. 176/कल्याण/के स.बी./बी/2017

18 अक्टूबर 2017

राज्य सैनिक बोर्ड

____
____
____

पेन्यूरी नवीनीकरण (PENURY RENEWAL) के बाबत।

1 इस कार्यालय के पत्र संख्या 175/Welfare/Penury/Grant दिनांक 04 Jan 2017 के संदर्भ से आपकों सूचित किया गया था, कि वित्त वर्ष 2016–17 तक जीवन प्रमाण पत्रो को भेजने के निम्न दो निम्न दो तरीकें थेंः–

(क) डाक द्वारा जीवन प्रमाण पत्रो को समेकित ढंग (Consolidated manner) से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के कार्यालय में 31 मार्च 2017 से पहले जि सै बोर्ड द्वारा अग्रसीत करना था।

(ख) ऑनलाईन द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के बेव पोर्टल www.ksb.gov.in में पेन्यूरी नवीनीकरण करना।

2 वित्तीय वर्ष 2016–17 में 31 मार्च 2017 से पहले डाक द्वारा या ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त सही रूप से प्राप्त जीवन प्रमाण पत्रो का पेन्यूरी नवीनीकरण भुगतान कर दिया गया हैं।

3 देय तीथि 31 मार्च 2017 के पश्चात प्राप्त सभी जीवन प्रमाण पत्रो को बिना किसी कार्यवाही के आवेदक व जिला सैनिक बोर्ड को वापिस कर दिया गया तथा सलाह दी गई की वित वर्ष 2017–18 क लिए **01 दिसंबर 2017 से 01 मार्च 2018** के बीच में ऑनलाईन के माध्यम से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के बेव पोर्टल www.ksb.gov.in में जाकर पेन्यूरी नवीनीकरण के लिए आवेदन करे।

4 उपरेक्त पत्र के अनुसार सूचित किया गया था, कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में सभी जीवन प्रमाण पत्रो को केवल आनॅलाईन के माध्यम से ही स्वीकृत किया जाएगा, तथा आवेदन करने की तिथि 01 दिसंबर 2017 से 01 मार्च 2018 के बीच में निर्धारित की गई हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक जिन्होने अभी तक केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के वेब पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाईन पंजीकरण नही करवाया हैं उन्हे पंजीकरण करवा कर अपना लॅाग इन आई डी व पासवर्ड लेना हैं, तथा निम्नलिखित दस्तावेंजों के साथ केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के वेब पोर्टल मे 01 दिसंबर 2017 से 01 मार्च 2018 तक आवेदन करना हैं।

4 भूतपूर्व सैनिक जिनकी पेन्यूरी ग्रान्ट वित वर्ष 2016–17 या उससे पहले से स्वीकृत है और जो पहले से ही केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के बेवपोर्टल पर पंजीकृत हैं, और जो अब नया पंजीकरण कर रहे है सभी को वित्त वर्ष 2017–18 के लिए निम्न तरीके से आवेदन करना होगाः–

(क) पेन्यूरी नवीनीकरण में पूछी गई सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से भरे।

(ख) भूतपूर्व सैनिक का नाम, खाता संख्या, आई एफ एस सी कोड व बैंक का नाम सही होना चाहीए कृपया बैंक की इन जानकारियों को ऑल लाईन फार्म मे भरते वक्त कोई भी बदलाव न करे, जैंसा बैंक के दस्तावेंज में जानकारी दी गई है वैसा ही भरें। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक अपनी तरफ से खाता नं में अतिरिक्त शून्य (3000) लगा देते है जिससे आवेदन मंजूर होने के बाद भी बैंक पेमेंट नही हो पाती हैं।

(ग) पेन्यूरी नवीनीकरण हेतु जीवन प्रमाण पत्र का प्रारूप (Format) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड [illegible] साईट www.ksb.gov.in में उपलब्ध हैं, तथा प्रारूप पत्र में पूछी गई सभी जानकारीयों के [illegible] पूर्ण करे, तथा आवेदक के हस्ताक्षर या बांए हाथ के अंगूठे का निशान, और जिला [illegible] कल्याणकारी अधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर, जि.सै.कं.कार्यालय की गोल मोहर व दिनांक साथ अपलोड करे।

(घ) कृपया सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड बैंक खाता व डिस्चार्ज बुक में नाम की स्पेलिंग भिन्न न हो, इन तीनो में नाम एक जैसा होना चाहियें वर्ना बैंक पेमंट, करने में परेशानी होगी।

(च) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता बैंक द्वारा आपके आधार नम्बर से लिंक किया हुआ है। इसके लिए आपकी बैंक पास बुक पर बैंक द्वारा बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और रबर स्टैम्प के साथ आलेखित होना चाहिए।

6 आपसे निवेदन है कि उपरोक्त जानकारी न होने के कारण आवेदक सीधे ही इस कार्यालय में पत्र व्यवहार, व जीवन प्रमाण पत्र अपूर्ण रूप से प्रेषित करते है, जिसके कारण कार्यालय में संबधित कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, अतः अपने अधिकार क्षेत्र में सभी जिला सैनिक बोर्ड को अनुदेश दिया जाए कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में नांन पेन्शनर भूतपूर्व सैनिकों को उपरोक्त विषय के संबध में सूचित करे, तथा भूतपूर्व सैनिकों के पत्रो का समाधान रा.सै.बो./जि.सै.बोर्ड स्तर पर करे।

7 कृपया 01 अप्रैल 2017 से 30 नवम्बर 2017 के बीच अपलोड की गई आंनलाईन पेन्यूरी नवीनीकरण आवेदनों को अपने स्तर पर अस्वीकार करे, क्योंकि पेन्यूरी नवीनीकरण के समय से पूर्व किये गए यह ऑनलाईन आवेदन अमान्य तो है ही अगर रा.सै.बो./जि.सै.बोर्ड स्तर (जहॉ जो आवेदन है) पर इन्हे अस्वीकार नही किया गया तो 01 दिसंबर 2017 से 01 मार्च 2018 के बीच में स्वतः वेबसाइट मान्य आंनलाईन आवेदनो को भी अपलोड नही होने देगी।:–

8 कृपया समय रहते जि.सै.बोर्ड स्तर पर 30 नवम्बर 2017 से पहले ऑनलाईन पेन्यूरी नवीनीकरण हेतु निम्न बिन्दुओं का ख्याल रखेः–

(क) सभी पेन्यूरी (sanctioned) भूतपूर्व सैनिकों जिन्होने यह कार्यावाही नही की उन्हे सूचित करें कि वो अपना लॅाग–इन–आईडी और पासवर्ड बनवायें। भूतपूर्व सैनिकों को बतायें कि इन को विशेष रूप से नोट कर के रखें। जिससे कि भविष्य मे आपकी आवेदन अवस्था (application status) का इंटरनेट के माध्यम से चैक करें।

(ख) लॉग इन आई डी बनाते वक्त ई–मेल आई आईडी और फोन नं जो आंनलाईन पंजीकरण में डाली गई है उन्हे नोट कर ले क्योंकि आवेदन संम्बंधी सभी सूचना इन्ही के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के पास आऐंगी।

(ग) भूतपूर्व सैनिक 01 दिसंबर 2017 से पूर्व वेबसाईट में लॉग ईन कर के सर्विस नंबर अपलोड आवेदन को उत्पन्न (generate) कर के देख ले, अगर आंनलाईन आवेदन उत्पन्न कर रहा है तो उनका भूतपूर्व सैनिक का रिकार्ड वेबसाईट के डाटाबेस मे हैं और 01 दिसंबर 2017 से 01 मार्च 2018 के बीच भी भूतपूर्व सैनिक जब मान्य आवेदन करेंगें तो उनका पेन्यूरी नवीनीकरण का आवेदन उत्पन्न (generate) हो जाएगा।

(घ) अगर गलती से पेन्यूरी नवीनीकरण का आवेदन 01 दिसंबर 17 से पहले उत्पन्न हो जाता है तो उसे जि.सै.बोर्ड से अस्वीकार (Reject) करवा ले।

(ड) अगर 01 दिसंबर 2017 से पूर्व आंनलाईन सर्वीस नं अपलोड करने के बाद आवेदन नं उत्पन्न नही हो रहा है तो दो निम्न कारण हो सकते हैः–

(i) आपका पेन्यूरी का आवेदन प्रारंभिक स्वीकृत (Initial Sanctioned) नही हुआ है या

(ii) पेन्यूरी आवेदन स्वीकृत का रिकार्ड डाटाबेस में नही है। (दोनो हालातो में कृपया स्वचालन अनुभाग (Automation Section)/KSB से हैल्पलाईन नं 1800115250 या ई–मेल

(3)

द्वारा ksbwebsitehelpline@gmail.com पर सम्पर्क करे)

9 ऑनलाईन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि **01 दिसंबर 2017 से 01 मार्च 2018** निश्चित की गई है अतः देय तिथि के पहले या पश्चात प्राप्त जीवन प्रमाण पत्रो पर कोई कार्यावाही नही की जाऐगी,

10 अगर पेन्यूरी ग्रान्ट प्राप्त भूतपूर्व सैनिक का स्वर्गवास हो जाता है तो उनकी विधवा जोकि 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो पेन्यूरी ग्रान्ट के लिए आंनलाईन के माध्यम से आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक की पेन्यूरी ग्रान्ट का स्वीकृत (sanction), स्वतः उनकी विधवा को स्थानांतरण (transfer) नही होता हैं।

11 सभी रा.सै.बो./जि.सै.बोर्ड से निवेदन है कि अपूर्ण आवेदनों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के लिये सिफारिश (Recommend) न करे। ऐसे आवेदनों को पहले अपने स्त पर दुरूस्त करवा कर ही केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पास भेजें।

12 कृपया इस पत्र मे दी गई सभी जानकारियों को जि.सै.बोर्ड व भूतपूर्व सैनिको तक पहुॅचायें।

13 जि.सै.बोर्ड को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के रिकार्ड हेतु मैन्युअल रजिस्टर रखना चाहिए, जिससे डबल एप्लीकेशंस रिपोर्ट जनरेट न हो तथा डबल एप्लीकेशंस सुविधा जि.सै.बोर्ड के पोर्टल पर दी हुई उसकी मदद से प्रत्येक दिन हर वेलफयर स्कीम की डबल आवेदन चेक करके निस्तारण किया जाये, जिससे डबल पेमेन्ट से बचा जा सके।

14 सभी रा.सै.बो./जि.सै.बोर्ड सुनिश्चत करें कि उनके पास कोई भी आंनलाईन आवेदन 08 मार्च 2018 के बाद पैन्डींग न रहे।

नरेन्द्र

(नरेन्द्र सिंह)
कर्नल
संयुक्त निदेशक, कल्याण

Email on 31/10/17 to all RSBs
Shruti